FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

आदु वगैरा बनाम नारणा वगैरा

किस्म मुकदमा राज. आवेदन नं. 26/3/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/10/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/12/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/12/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः वास्ते बहस पत्रावली काईन्दा दिनांक 23/01/18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/01/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु०। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारो ओर पत्थर के नेषम स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर नेषमकनी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक	

से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पत्थर की नेषमकनी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 07

दिनांकः– 23/01/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. आदुराम पुत्र अजाराम वगैरा 6 जाति जाट निवासी अमरजी की ढाणी, सवाउ पदमसिंह तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. नारणाराम पुत्र चेनाराम वगैरा 49 निवासी अमरजी की ढाणी, सवाउ पदमसिंह तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 263 / 17

आदेश

मौजा अमरजी की ढाणी पटवार हल्का सवाउ पदमसिंह के खेत खसरा नम्बर 361 रकबा 185.02 बीघा, खसरा नम्बर 674 / 546 रकबा 10.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 23/01/2018

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 08 to 12

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सवाउ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री आदुराम पुत्र अजाराम वगैरा 6।
4. विप्रार्थीगण श्री नारणाराम पुत्र चेनाराम वगैरा 49।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned with CamScanner